न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 66 / 2025
निर्णय दिनांक : 27.06.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 145
दायर दिनांक – 07.05.2025

1. भजूराम पुत्र धनाराम जाति नायक निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार चायल उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी निवासी ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का निवासी है। रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या नया 119 के खसरा संख्या 178 तादादी 7.0179 है0 व खसरा संख्या 468 तादादी 8.2066 है0 प्रार्थी की खातेदारी में (1 / 36 हिस्सा) दर्ज स्थित है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भगाराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा 1 / 36 जाति नायक दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भजुराम पुत्र धन्नाराम जाति नायक निवासी भोजलाई है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भजुराम पुत्र धन्नाराम जाति नायक निवासी ग्राम भोजलाई है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों आधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड में नाम भजुराम पुत्र धनाराम जाति नायक अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भगाराम की बजाय भजूराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी .का नाम प्रार्थी का नाम भजाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही भोजलाई तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या नया 119 के खसरा संख्या 178 तादादी 7.0179 है0 व खसरा संख्या 468 तादादी 8.2066 है0 तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार भगाराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर भजुराम पुत्र धनाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गुलेरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ